

भारत सरकार सेवार्थ
ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

NO. 5/4/2015-1GM



To
Shri. Neeraj K. Gupta
main market Bargawa
police station Bargawa
Dist - Siygaoule
Madhya Pradesh.

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

File No.5/4/2015-IGM
Ministry of Corporate Affairs
Government of India

R.No.509A, Shastri Bhawan,
Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001.
Dated 7 March, 2016

To
✓
Shri Neeraj Kumar Gupta,
Main Market Bargawa,
Police Station Bargawa,
District Singrouli, MP.

Subject : Public grievance petition.

FTS No.602/2016.

Sir,

This has reference to your Grievance Petition dated 1/1/2016 addressed to Ministry of Corporate Affairs against the above cited entity.

2. In this regard, it is stated that it is a general nature complaint. Complaint regarding employment in a Company does not come under the ambit of this Ministry. Ministry of Corporate Affairs deals with complaint against the company registered under the provisions of companies Act 1956/2013 and violations under the such Act and rules made there under and accordingly the complaint is returned back to you to approach appropriate authority.

Yours faithfully

S. Padma
07/03/16

(S. Padma Roy)

Section Officer

Copy to:- Under Secretary, Coord.-II, M/o Home Affairs, North Block, New Delhi for information. (wrt complaint forwarded vide OM no.20011/03/2015-Coord.-II dated 1/1/2016)

FIS(R) NO-602/2016

सं० 20011/3/2015/समन्वय-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक :

कार्यालय ज्ञापन


01 JAN 2016

विषय: लोक शिकायत याचिका।

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नीरज कुमार गुप्ता ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17.08.2015 को इस मंत्रालय में एक लोक शिकायत याचिका प्रस्तुत की है। लोक शिकायत याचिका, पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि इस याचिका पर उचित कार्यवाही की जाए एवं याचिकाकर्ता को उपयुक्त उत्तर भेज दिया जाए तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(रेनु सूरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
श्री के.वी.आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव,
कमरा नं.-504, ए विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

13/JS(K)
06/01/16

152/DD(AIC)
08/01/15

के.वी.आर.
06/1

अवर सचिव (क.व.आर.)
07/01/16

SO (AIC)
07/01/16

general nature complaint.
Complaint reg. employment in
a co. does not come under the
ambit of this Ministry. MCA
deals with compl. against the co.
regd. under the provisions of Cos. Act
1956/2013 and rules made there
under.

SO (AIC)

11/01/16

AS
21/1/16

8th Seven
Return

श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत

854

18/29

बिषय- विप्रो कम्पनी के द्वारा एक विकलांग व्यक्ति के साथ देश के तमाम बेकसूर बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा एक गंदा और भद्दा मजाक किया जा रहा है । जिससे विप्रो कम्पनी के द्वारा भारत के तमाम बेकसूर बेरोजगार नौजवानों की भविष्य को खराब किया जा रहा है ।

बिनम्र निवेदन :- महोदय सबिनय बिनम्र निवेदन हैं, कि जहा एक ओर हमारे भारत मे बेरोजगारी व्याप्त हैं वहीं दुसरी ओर विप्रो कम्पनी के द्वारा भारत के समस्त बेकसूर बेरोजगारों को पहले सुरक्षा निधि के रूप मे कुछ पैसे लेकर आफर लेटर दीया जाता हैं और उसे भ्रमीत किया जाता हैं । जिससे बेरोजगारों द्वारा उक्त फर्जी कम्पनी को सिक्योरीटी मनी के रूप मे कुछ और पैसे दिलवा सके । और जिस नौजवानों ने ऐसा नहीं किया तो उसे यह कह कर भगा दिया जाता हैं, कि सारी प्रक्रिया गलत हैं और फेकर के द्वारा दिया गया बताया जाता हैं । जिसमे मैं भी एक हूं । पर जब मेरे द्वारा कम्पनी से सारी प्रक्रिया गलत होने का प्रमाण मांगा, तो कम्पनी ने दिनांक 18/06/2014 को दिल्ली मे मुझ पर हमला करवाना चाहा, पर समय रहते मैने खतरा भौंप कर दिल्ली से भाग कर अपने घर आ गया । और इस तरह मेरी जान बच सकी, और हमेशा डर लगा रहता हैं कि मेरे साथ कम्पनी कोई अनहोनी न हो जाय इसलिए नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं और न्याय के लिये दर-दर भटकता रहता हूं । पर कहीं न्याय नहीं मिल रही हैं । वहीं कम्पनी के कम्पलेन बोर्ड से एक फेसबुक की साईड (<https://www.facebook.com/pages/Report-Indian-Frauds-and-prevention/548188838583090?fref=ts>) प्राप्त हुआ था, जिसमे बताया गया था की :-

- आलोक कुमार संधिल्या, धनबाद/कोलकत (200-700 बेकसूर नौजवानों कि भविष्य खराब की हैं)
- मृदुल घोष, कोलकता/दिल्ली/पुने/मुम्बई (6000 बेकसूर नौजवानों कि भविष्य खराब की हैं)
- मनोज कुमार, धनबाद/कोलकता (नहीं पकडे गये हैं)
- आशीष चन्द्र, धनबाद/कोलकता (नहीं पकडे गये हैं)

और बताया गया की इस तरह का वाक्या सन् 2006 से निरंतर किया जा रहा हैं । जहाँ मेरे द्वारा कम्पनी से ऐ जानकारी मांगी की इस समुह मे कितने लोग हैं ? और कौन से लोग कितने नौजवानों कि भविष्य खराब की हैं ? जिससे कम्पनी प्रबंधन को खामों की छा गई है । और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं । जिससे प्रार्थी डर-डर जिने को मजबुर हूं । मनोज बर्गिस्ट एन्काउंटर मामले में दिल्ली पुलिस के दोगरे रवैये से अवगत कराने की कोशिश की हैं ।

श्री मान जी से निवेदन है । की प्राथी के साथ हुये धोखाधडी की उच्च स्तरीय जांच करवायी जाय जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके । और दर-दर की ठोकरें खा रहे मुझ बेकसूर विकलांग को हमारा अधिकार मिल सके । या इच्छामृत्यु करने की इजाजत दिया जाए ।

महोदय

सबिनयबिनम्र निवेदन हैं, कि मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिला के बरगवां का एक विकलांग व्यक्ति निरज गुप्ता पिता श्री मुन्नीलाल गुप्ता जो कि पैर से जन्मजात विकलांग है उक्त व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर अपना जीवन यापन कर रहा था । उक्त व्यक्ति घर की माली हालत की स्थिती में स्नातक तथा आई०ए०सी०एम० संस्थान बैढन से कम्प्यूटर हार्डवियर नेटवर्किंग का कोर्स किया एवं नेटवर्किंग करने के बाद दिल्ली के ए०एन०जी०कम्पनी में सिक्योरीटी सिस्टम लगाने का काम मिल गया बतौर निरज गुप्ता उक्त कार्य को बडे ही ईमानदारी व मेहनत से करता रहा । और मात्र निरज गुप्ता ही नहीं हर नौकरी तलास करने वाले की इच्छा होती है की वह एक मल्टीनेशनल कम्पनी में एक कर्मचारी बनने की चाह होती

MS / Corred. II

N. K. Gupta
17/08/15

19 AUG 2015
582693